प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए विधान सभा मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रसं0–एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वास्थ्य / जे0एस0वाई0 / 8–6 / 13–14 / 1989–75 दिनांक 01.08.2013

विषय–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ''जननी सुरक्षा योजना'' के वित्तीय वर्ष 2013–2014 में संचालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शासनादेश सं0–जी0आई0 136 / 5–9–07–9 (113) / 05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007, शासनादेश सं0–3668 / 5–9.7–9(113) / 2005, दिनांक 19.01.2008 तथा शासनादेश सं0–3667 / 5–9–08–9 (113) / 05, दिनांक 05.03.2008 के अधीन ''जननी सुरक्षा योजना'' संचालित की जा रही है। वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा के भुगतान के सम्बन्ध में संशोधन हेतु शासनादेश संख्या–657 / पॉच–9–2013–9(113) / 05 दिनांक 15 मई 2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

''जननी सुरक्षा योजना' राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु लागू की गयी शत–प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है। इसके अन्तर्गत सभी महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों यथा–उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्रथम सन्दर्भ इकाई (एफ.आर.यू.) / जिला एवं राज्य स्तरीय समस्त चिकित्सालय / सरकारी एवं केन्द्रीय मेडिकल कालेज एवं केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों यथा–रेलवे चिकित्सालय, पुलिस चिकित्सालय, सेना के चिकित्सालय, ई0एस0आई0 चिकित्सालय आदि के जनरल वार्ड में प्रसव कराने पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य है:–

ग्रामीण क्षेत्र			**शहरी क्षेत्र**		
लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रू0)	आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि (रू0)	योग (रू0)	लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रू0)	आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि (रू0)	योग (रू0)
1	2	3	4	5	6
1400.00	600.00	2000.00	1000.00	शून्य	1000.00

1. आशाओं के लिये दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि–

आशाओं को संस्थागत प्रसव में सहयोग हेतु दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि में संशोधन हेतु जारी शासनादेश संख्या–657 / पॉच–9–2013–9(113) / 05 दिनांक 15 मई 2013 के अनुपालन में मिशन निदेशक द्वारा पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वास्थ्य / जे0एस0वाई0 / 8–6 / 13–14 / 934–75

दिनांक–30.05.2013 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं। ज्ञात रहे कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह संशोधन प्रदेश में गुणवत्तापरक प्रसव पूर्व देखभाल के माध्यम से विस्तृत मातृ–मृत्यु व नवजात मृत्यु दर को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से किया गया है किन्तु इसकी अकेली जिम्मेदारी आशा की ही नहीं मानी जानी चाहिये। इस गतिविधि के सकारात्मक परिणामों के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक चिकित्सा इकाई पर व आउटरीच सत्र में एक टीम के रूप में कार्य करते हुए प्रत्येक गर्भवती की प्रसव पूर्व जाँचें सुनिश्चित की जाएं।

सभी मुख्य चिकित्साधिकारी शासनादेश संख्या–657/पॉच–9–2013–9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013 के अनुपालन में उपर्युक्तानुसार सभी व्यवस्थायें लागू कर 01 जुलाई से आशाओं के संशोधित भुगतान आरम्भ करें। यह सुनिश्चित करें कि व्यवस्थाओं के अभाव में आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।

2. मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने की व्यवस्था–

- ✓ राज्य स्तर पर विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग 20–25 प्रतिशत संस्थागत प्रसव प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में हो रहे हैं।
- ✓ जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–3667/ 5–9–08–9(113)/05 चिकित्सा अनु0–9, दिनांक 05.03.2008 के द्वारा प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।
- ✓ चिकित्सा विभाग का उद्देश्य संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना है अतः प्रत्येक जनपद में न्यूनतम एक प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय प्रति तहसील को चिन्हित कर शीघ्र मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही आरम्भ करें।
- ✓ प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में प्रसव कराने पर केवल बी0पी0एल0 श्रेणी की महिलाओं (लाभार्थी) को भुगतान अनुमन्य है।
- ✓ जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में प्रसव कराने वाली बी0पी0एल0 महिलाओं के सम्बन्ध में सिजेरियन आपरेशन द्वारा प्रसव कराये जाने पर प्रति प्रसव रू0–1500.00 की दर से भुगतान निजी नर्सिंग होम को देय है, जो लाभार्थी/आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त है।

3. प्रदेश के 06 जनपदों में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी भुगतानों को आधार कार्ड से जोड़े जाने की व्यवस्था –

- ✓ जननी सुरक्षा योजना को आधार इनेबल्ड पेमेण्ट सिस्टम (AEPS) से सम्बद्ध किये जाने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 06 जनपदों (**श्रावस्ती, रायबरेली, इटावा, अमेठी, चित्रकूट एवं संतकबीरनगर**) को चयनित किया गया है।
- ✓ इस सम्बन्ध में भारत सरकार, जनगणना विभाग एवं एस0पी0एम0यू0 एन0आर0एच0एम0 के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 07.06.2013 को राज्य स्तर पर आपके जनपद के जननी सुरक्षा योजना के प्रभारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का उन्मुखीकरण किया गया है।
- ✓ प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./मातृ स्वा./जे0एस0वाई0आ0कार्ड./8–7/2013–14/1398–6 दिनांक–02.07.2013 द्वारा इस वर्ष दिनांक 01 अक्टूबर 2013 से चयनित जनपदों में जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भुगतान आधार

इनेबल्ड पेमेण्ट सिस्टम (**AEPS**) के माध्यम से आरम्भ किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

4. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपकेन्द्रों की मान्यता –

✓ गत दो वित्तीय वर्षों से प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना की वार्षिक उपलब्धि में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है।

✓ जनपदों में संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के लिये राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न समीक्षा बैठकों में सरकारी भवनों में स्थापित कुल उपकेन्द्रों के न्यूनतम 50 प्रतिशत उपकेन्द्रों को मान्यता प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

✓ इस कार्य के लिये ऐसे सभी उपकेन्द्र जहां की ए0एन0एम0 प्रसव कराने में कुशल हों एवं ऐसे उपकेन्द्र जहां पर पूर्व से प्रसव हो रहे हों किन्तु एक्रेडिटेशन न होने की वजह से प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ न मिल पा रहा हो, उन्हें प्राथमिकता पर चिन्हित कर उपकेन्द्र स्तर पर उपलब्ध धनराशि से मानक पूरे कराकर शीघ्रातिशीघ्र एक्रेडिट किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर लें जिससे उनके मानक पूरे हो जायें और उन केन्द्रों पर जननी सुररक्षा योजना का लाभ आरम्भ किया जा सके।

✓ अपने जनपद में अधिक से अधिक उपकेन्द्रों को जननी सुरक्षा योजना के लिये अधिकृत एवं क्रियाशील किये जाने का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उनके सहयोगियों का है।

5. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण एवं वित्तीय फांट–

✓ ''जननी सुरक्षा योजना'' के संचालन के लिये गत वर्ष की उपलब्धि के आधार पर आवश्यकताओं का ऑकलन कर प्रथम किश्त की धनराशि दिनांक–10.05.2013 जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों के आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल के खाते में स्वीकृत/अवमुक्त की जा चुकी है।

✓ वर्तमान में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या–जे0एस0वाई0/ बजट/2013–14/2765 दिनांक–19.06.2013 के माध्यम से जननी सुरक्षा योजना हेतु जनपदवार लक्ष्य को संशोधित किया गया है जिसे राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20.06.2013 में अनुमोदित किया गया है।

✓ ''जननी सुरक्षा योजना'' के माह दिसम्बर 2013 तक (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास हेतु) संचालन के लिये संशोधित लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक धनराशि का ऑकलन किया गया है जिसमें से प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि को घटाते हुये आवश्यक धनराशि संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार जनपदों के आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल खाते में एफ.एम.आर. कोड संख्या–ए.1.4 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही है।

6. जनपद स्तरीय प्रशासनिक व्यय

✓ जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्राविधानित कुल धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अनुश्रवण, रिपोर्टिंग, आई0ई0सी0, योजना के सुचारू क्रियान्वयन, वेबसाइट एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु अनुमन्य है।

✓ मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद स्तर पर एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों के प्रभारियों के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार सर्वसहमति से प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि के उपयोग

का उपर्युक्त तालिका में दिए गए मदों के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करेंगे जिस पर जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर व्यय करेंगे।

- ✓ इस धनराशि का उपयोग सभी प्रसव इकाइयों पर कार्यक्रम के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु किया जायेगा।
- ✓ सुरक्षा कर्मी जनपद की परिस्थितियों के दृष्टिगत अति आवश्यक इकाइयों पर ही दिये जायें। मानव संसाधन एजेन्सी के माध्यम से अथवा श्रम नीति के अन्तर्गत ही रखे जायें।
- ✓ प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से निम्न कार्य किए जा सकते हैं –

क्रम सं0	प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य गतिविधियाँ
1	जनपद के एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों पर प्रसव कक्ष/जे0एस0वाई0 वार्ड की सफाई व्यवस्था
2	जनपद के एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर जे0एस0वाई0 की रिपोर्टिंग तथा वेब पेज फीडिंग हेतु पर कम्प्यूटर कर्मी की व्यवस्था
3	जिला महिला चिकित्सालय पर सिक्योरिटी की व्यवस्था
4	सभी स्तरों पर जे0एस0वाई0 फार्मेट, स्टेशनरी, रजिस्टर व अन्य लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था
5	जनपद के एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों एवं मेडिकल कॉलेज पर सौन्दर्यीकरण/पोस्टर, जे0एस0वाई0 फार्मेट, स्टेशनरी, रजिस्टर व अन्य लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था
6	सभी प्रसव इकाइयों पर जे0एस0वाई0 एवं जे0एस0एस0के0 के प्रचार–प्रसार हेतु दीवार लेखन, पोस्टर व सौन्दर्यीकरण व्यवस्था

7. प्रदेश के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग हेतु 01 कम्प्यूटर कर्मी की व्यवस्था–

वर्ष 2013–14 के लिए जे0एस0वाई0 की रिपोर्टिंग तथा वेब पेज फीडिंग, मैटरनल डेथ रिपोर्टिंग में सहयोग हेतु पृथक से 01 कम्प्यूटर कर्मी की व्यवस्था हेतु रू0–7500.00 प्रतिमाह की दर से रू0–90000.00 की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। यह धनराशि जनपदों के लिये अवमुक्त 4 प्रतिशत प्रशासनिक मद से पृथक है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कृपया यह धनराशि मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग को आबंटित कर उन्हें जानकारी दे दें।

8. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंगः–

- ✓ जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के कियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। समिति द्वारा इसके लिए जिला स्तर पर एक जिला नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
- ✓ जनपद स्तर पर लाभार्थियों एवं आशाओं के लम्बित भुगतानों का साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाय, इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाय। अधोप्रगति वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर शिथिल कर्मियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- ✓ प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने जनपद की सभी प्रसव इकाईयों तक जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु अद्यतन दिशा–निर्देश अवश्य पहुँचा दें, व तुलनात्मक प्रगति पर विस्तृत चर्चा कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- ✓ आशाओं द्वारा गत 03 वर्षों में लायी जा रहे संस्थागत प्रसवों की तुलनात्मक प्रगति के आधार पर आशाओं को चेतावनी जारी करें एवं उनके कार्यों की समीक्षा ब्लाकवार कर रिपोर्ट वी0एच0एस0एन0सी0 को भी प्रेषित करें।

- ✓ मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उसके अधीन कार्यरत जनपदीय अधिकारी 10 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करेगें तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जननी सुरक्षा योजना की वेबसाइट पर 7 दिनों के अन्दर डेटा अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में जिलाधिकारी महोदय की सहमति से अन्य विभागों के अधिकारी भी सहयोग कर सकते हैं।
- ✓ आगामी माह की 05 तारीख तक जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जिले की जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गत माह की भौतिक प्रगति एवं व्यय का मासिक विवरण अनिवार्य रूप से जे0एस0वाई0 प्रकोष्ठ महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0 एवं महाप्रबन्धक–मातृ स्वास्थ्य, एस0पी0एम0यू0 को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायेंगे।
- ✓ वे छः जनपद (**श्रावस्ती, रायबरेली, इटावा, अमेठी, चित्रकूट एवं संतकबीरनगर**) जहाँ आधार कार्ड लिंक पेमेन्ट सिस्टम लागू किया गया है, पृथक से भी जे0एस0वाई0 प्रकोष्ठ महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0 एवं महाप्रबन्धक–मातृ स्वास्थ्य, एस0पी0एम0यू0 को प्रगति की सूचना प्रेषित करेंगे।
- ✓ जननी सुरक्षा योजना सेल द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित इस कार्यक्रम का सघन अनुश्रवण व पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायगा।
- ✓ राज्य स्तर पर कियाशील जननी सुरक्षा योजना की वेबसाइट पर नियमित रूप से जनपदों को निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थी के नाम, पता, सम्पर्क नम्बर, धनराशि के भुगतान का विवरण, आशा एवं ए0एन0एम0 के नाम आदि सहित 7 दिन पूर्व तक हुए समस्त प्रसवों की विस्तृत सूचना उपलब्ध करानी होगी जिसका नियमित अनुश्रवण राज्य स्तर पर किया जायेगा।
- ✓ राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा प्रत्येक 06 माह पर जनपदवार विस्तृत संकलित रिपोर्ट/व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण–पत्र, आडिट रिपोर्ट भारत सरकार को निर्धारित प्रपत्रों पर माह अप्रैल एवं नवम्बर में उपलब्ध करायी जायगी।

9. जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की फांट/वित्तीय व्यवस्था

- ✓ जनपदों को अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग उपर्युक्त दिशा–निर्देश के अनुसार करना सुनिश्चित करें। संलग्न तालिका में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों (घरेलू प्रसव, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसव, नगरीय क्षेत्रों के प्रसव, आशा को देय धनराशि, मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में बी0पी0एल0 महिलाओं के सिजेरियन आपरेशन पर निजी नर्सिंग होम को प्रति प्रसव रू0–1500.00 की दर से भुगतान हेतु देय धनराशि तथा प्रशासनिक मद) हेतु अलग–अलग निर्धारित शीर्षवार, मदवार धनराशि की फांट प्रदर्शित है।
- ✓ जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाय।
- ✓ आशा को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जाय। लाभार्थियों को यथा सम्भव एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से ही भुगतान किये जायें।
- ✓ धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

✓ व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेनट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

✓ जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाय। अतः आकस्मिकता की स्थिति में लाभार्थियों अथवा आशाओं के भुगतान हेतु योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

✓ जनपद स्तर पर आकस्मिकता की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा–निर्देशों के कम में रोगी कल्याण समिति/अनटाइड फण्ड से जिला स्वास्थ्य समिति की अनुमति से धनराशि उधार ली जा सकती है जो बजट प्राप्त होने के पश्चात वापस की जायगी।

✓ उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में यदि किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

31/7/13

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसं0–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8–6/13–14/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति ,एन0आर0एच0एम0,उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय एवं जिला परियोजना प्रबन्धक,एन0आर0एच0एम0,उ0प्र0।
9. निजी सचिव, अपर मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0,उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

वर्ष 2013–14 में जननी सुरक्षा योजना हेतु प्रस्तावित लक्ष्य एवं धनराशि

Sl. No.	Name of Districts	Target for JSY in year 2013-14					Budgetary Allocation in Lack Rs. For year 2013-14									Budget release in Lakh Rs		
		Rural Institutional deliveries (89%)	Urban Institutional deliveries (11%)	BPL home deliveries (0.6%)	Total deliveries under JSY	Institutional deliveries Supported by ASHA (80% of rural)	Rural beneficiaries @ 1400.00 (89%) in lakhs	Urban beneficiaries @ 1000.00 in lakhs	BPL home deliveries @ 500.00 in lakhs	ASHA Incentive @ 600.00 in lakhs (80%)	Budget for LSCS of BPL at Acredited Pvt centers @ Rs 1500.00/case	Total budget for Beneficiaries (incl. ASHA) in lakhs (8+9+10+11+12)	Admin budget @ 4% of Total budget in column 13	Total budget approval for year 2013-14	Estimated budget for 3 quarters (Till Dec 2013)	1st release in May 2013)	Support to Ob&Gy deptt at MCs for computer operator from state adm. Budget	Total 2nd release July 2013 (Column 16-17+18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	FMR Code						A.1.4.2.a	A.1.4.2.b	A.1.4.1	A.1.4.4	A.1.4.2.c		A.1.4.3					
1	आगरा	48839	6036	329	55204	39071	683.746	60.36	1.645	234.426	0.75	980.927	39.24	1020.164	765.123	221.6	0.9	544.423
2	फिरोजाबाद	27835	3440	188	31463	22268	389.69	34.4	0.94	133.608	0.75	559.388	22.38	581.764	436.323	76.31		360.013
3	मथुरा	23888	2952	190	27030	19110	334.432	29.52	0.95	114.66	0.75	480.312	19.21	499.524	374.643	100.09		274.553
4	मैनपुरी	20593	2545	139	23277	16474	288.302	25.45	0.695	98.844	0.75	414.041	16.56	430.603	322.952	128.51		194.442
5	अलीगढ़	36507	4512	276	41295	29206	511.098	45.12	1.38	175.236	0.75	733.584	29.34	762.927	572.196	182.88	0.9	390.216
6	एटा	19634	2427	132	22193	15707	274.876	24.27	0.66	94.242	0.75	394.798	15.79	410.590	307.942	74.13		233.812
7	कासगंज	16033	1982	108	18123	12826	224.462	19.82	0.54	76.956	0.75	322.528	12.90	335.429	251.572	90.16		161.412
8	हाथरस	17455	2157	118	19730	13964	244.37	21.57	0.59	83.784	0.75	351.064	14.04	365.107	273.830	94.69		179.140
9	इलाहाबाद	56474	6980	448	63902	45179	790.636	69.8	2.24	271.074	0.75	1134.500	45.38	1179.880	884.910	229.12	0.9	656.690
10	कौशाम्बी	25012	3091	120	28223	20009	350.168	30.91	0.6	120.054	0.75	502.482	20.10	522.581	391.936	156.09		235.846
11	फतेहपुर	29350	3627	198	33175	23480	410.9	36.27	0.99	140.88	0.75	589.790	23.59	613.382	460.036	332.59		127.446
12	प्रतापगढ़	38141	4714	239	43094	30513	533.974	47.14	1.195	183.078	0.75	766.137	30.65	796.782	597.587	149.62		447.967
13	शाहजहाँपुर	33470	4137	226	37833	26777	468.58	41.37	1.13	160.662	0.75	672.492	26.90	699.392	524.544	123.42		401.124
14	बरेली	39990	4943	336	45269	31993	559.86	49.43	1.68	191.958	0.75	803.678	32.15	835.825	626.869	150.68		476.189
15	बदायूं	37370	4619	240	42229	29896	523.18	46.19	1.2	179.376	0.75	750.696	30.03	780.724	585.543	215.1		370.443
16	पीलीभीत	22712	2807	153	25672	18169	317.968	28.07	0.765	109.014	0.75	456.567	18.26	474.830	356.122	85.51		270.612
17	जालौन	20406	2522	126	23054	16325	285.684	25.22	0.63	97.95	0.75	410.234	16.41	426.643	319.983	122.18		197.803
18	झांसी	22305	2757	150	25212	17844	312.27	27.57	0.75	107.064	0.75	448.404	17.94	466.340	349.755	131.75	0.9	218.905
19	ललितपुर	23369	2888	92	26349	18695	327.166	28.88	0.46	112.17	0.75	469.426	18.78	488.203	366.152	139.21		226.942
20	हमीरपुर	16758	2071	83	18912	13406	234.612	20.71	0.415	80.436	0.75	336.923	13.48	350.400	262.800	99.86		162.940
21	महोबा	12437	1537	66	14040	9949	174.118	15.37	0.33	59.694	0.75	250.262	10.01	260.272	195.204	73.02		122.184
22	बांदा	28962	3580	135	32677	23170	405.468	35.8	0.675	139.02	0.75	581.713	23.27	604.982	453.736	169.79		283.946
23	चित्रकूट	17274	2135	74	19483	13819	241.836	21.35	0.37	82.914	0.75	347.220	13.89	361.109	270.832	99.4		171.432
24	सुल्तानपुर	31527	3897	165	35589	25222	441.378	38.97	0.825	151.332	0.75	633.255	25.33	658.585	493.939	190.04		303.899
25	अमेठी	28921	3574	183	32678	23136	404.894	35.74	0.915	138.816	0.75	581.115	23.24	604.360	453.270	174.03		279.240
26	अम्बेदकर नगर	26786	3311	180	30277	21429	375.004	33.11	0.9	128.574	0.75	538.338	21.53	559.872	419.904	114.45	0.9	306.354
27	फैजाबाद	28408	3511	186	32105	22727	397.712	35.11	0.93	136.362	0.75	570.864	22.83	593.699	445.274	171.25		274.024
28	बाराबंकी	40770	5039	245	46054	32617	570.78	50.39	1.225	195.702	0.75	818.847	32.75	851.601	638.701	245.92		392.781
29	गोण्डा	38254	4728	258	43240	30603	535.556	47.28	1.29	183.618	0.75	768.494	30.74	799.234	599.425	213.06		386.365
30	बलरामपुर	18619	2301	162	21082	14895	260.666	23.01	0.81	89.37	0.75	374.606	14.98	389.590	292.193	105.36		186.833
31	बहराइच	39667	4903	260	44830	31733	555.338	49.03	1.3	190.398	0.75	796.816	31.87	828.689	621.516	239.05		382.466
32	श्रावस्ती	16876	2086	84	19046	13501	236.264	20.86	0.42	81.006	0.75	339.300	13.57	352.872	264.654	98.37		166.284
33	बलिया	35938	4442	242	40622	28750	503.132	44.42	1.21	172.5	0.75	722.012	28.88	750.892	563.169	203.6		359.569
34	आजमगढ़	47016	5811	347	53174	37613	658.224	58.11	1.735	225.678	0.75	944.497	37.78	982.277	736.708	254.97		481.738
35	मऊ	24584	3038	166	27788	19667	344.176	30.38	0.83	118.002	0.75	494.138	19.77	513.904	385.428	137.84		247.588
36	गोरखपुर	49457	6113	333	55903	39566	692.398	61.13	1.665	237.396	0.75	993.339	39.73	1033.073	774.804	292.55	0.9	483.154
37	देवरिया	39440	4875	233	44548	31552	552.16	48.75	1.165	189.312	0.75	792.137	31.69	823.822	617.867	235.72		382.147
38	कुशीनगर	47707	5896	268	53871	38166	667.898	58.96	1.34	228.996	0.75	957.944	38.32	996.262	747.196	180.42		566.776
39	महाराजगंज	30159	3727	200	34086	24127	422.226	37.27	1	144.762	0.75	606.008	24.24	630.248	472.686	286.4		186.286
40	बस्ती	30552	3776	185	34513	24441	427.728	37.76	0.925	146.646	0.75	613.809	24.55	638.361	478.771	159.11		319.661
41	सिद्धार्थनगर	28468	3518	192	32178	22774	398.552	35.18	0.96	136.644	0.75	572.086	22.88	594.969	446.227	183.02		263.207
42	संत कबीर नगर	26232	3242	129	29603	20985	367.248	32.42	0.645	125.91	0.75	526.973	21.08	548.052	411.039	158		253.039
43	कानपुर देहात	20013	2473	135	22621	16010	280.182	24.73	0.675	96.06	0.75	402.397	16.10	418.493	313.870	110.22		203.650

Sl. No.	Name of Districts	Target for JSY in year 2013-14					Budgetary Allocation in Lack Rs. For year 2013-14									Budget release in Lakh Rs		
		Rural Institutional deliveries (89%)	Urban Institutional deliveries (11%)	BPL home deliveries (0.6%)	Total deliveries under JSY	Institutional deliveries Supported by ASHA (80% of rural)	Rural beneficiaries @ 1400.00 (89%) in lakhs	Urban beneficiaries @ 1000.00 in lakhs	BPL home deliveries@ 500.00 in lakhs	ASHA Incentive @ 600.00 in lakhs (80%)	Budget for LSCS of BPL at Acredited Pvt centers @ Rs 1500.00/case	Total budget for Beneficiaries (incl. ASHA) in lakhs (8+9+10+11+12)	Admin budget @ 4% of Total budget in column 13	Total budget approval for year 2013-14	Estimated budget for 3 quarters (Till Dec 2013)	1st release in May 2013)	Support to Ob&Gy deptt at MCs for computer operator from state adm. Budget	Total 2nd release July 2013 (Column 16-17+18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	FMR Code						A.1.4.2.a	A.1.4.2.b	A.1.4.1	A.1.4.4	A.1.4.2.c		A.1.4.3					
44	कानपुर नगर	44750	5531	344	50625	35801	626.5	55.31	1.72	214.806	0.75	899.086	35.96	935.049	701.287	180.99	0.9	521.197
45	इटावा	31046	3837	119	35002	24837	434.644	38.37	0.595	149.022	0.75	623.381	24.94	648.316	486.237	144.21	0.9	342.927
46	औरैया	15299	1891	103	17293	12239	214.186	18.91	0.515	73.434	0.75	307.795	12.31	320.107	240.080	88.73		151.350
47	फर्रुखाबाद	21043	2601	142	23786	16835	294.602	26.01	0.71	101.01	0.75	423.082	16.92	440.005	330.004	91.35		238.654
48	कन्नौज	18484	2285	125	20894	14787	258.776	22.85	0.625	88.722	0.75	371.723	14.87	386.592	289.944	96.27	0.9	194.574
49	रायबरेली	28663	3543	193	32399	22931	401.282	35.43	0.965	137.586	0.75	576.013	23.04	599.054	449.290	172.6		276.690
50	लखनऊ	40474	5002	345	45821	32379	566.636	50.02	1.725	194.274	0.75	813.405	32.54	845.941	634.456	224.33	0.9	411.026
51	सीतापुर	60563	7485	336	68384	48450	847.882	74.85	1.68	290.7	0.75	1215.862	48.63	1264.496	948.372	363.3		585.072
52	उन्नाव	34678	4286	234	39198	27742	485.492	42.86	1.17	166.452	0.75	696.724	27.87	724.593	543.445	175.34		368.105
53	हरदोई	45612	5637	307	51556	36490	638.568	56.37	1.535	218.94	0.75	916.163	36.65	952.810	714.607	261.52		453.087
54	खीरी	48305	5970	302	54577	38644	676.27	59.7	1.51	231.864	0.75	970.094	38.80	1008.898	756.673	288.42		468.253
55	गाजियाबाद	23734	2933	254	26921	18987	332.276	29.33	1.27	113.922	0.75	477.548	19.10	496.650	372.487	58.14		314.347
56	गौतमबुद्धनगर	14220	1758	126	16104	11376	199.08	17.58	0.63	68.256	0.75	286.296	11.45	297.748	223.311	55.32		167.991
57	मेरठ	25973	3210	259	29442	20778	363.622	32.1	1.295	124.668	0.75	522.435	20.90	543.332	407.499	108.21	0.9	300.189
58	बागपत	14517	1794	98	16409	11614	203.238	17.94	0.49	69.684	0.75	292.102	11.68	303.786	227.840	62.19		165.650
59	हापुड़	9854	1218	96	11168	7883	137.956	12.18	0.48	47.298	0.75	198.664	7.95	206.611	154.958	28.51		126.448
60	बुलंद शहर	34553	4271	263	39087	27642	483.742	42.71	1.315	165.852	0.75	694.369	27.77	722.144	541.608	163.89		377.718
61	सहारनपुर	34170	4223	260	38653	27336	478.38	42.23	1.3	164.016	0.75	686.676	27.47	714.143	535.607	140.7		394.907
62	मुजफरनगर	25434	3144	200	28778	20347	356.076	31.44	1	122.082	0.75	511.348	20.45	531.802	398.851	112.61		286.241
63	शामली	11804	1459	110	13373	9443	165.256	14.59	0.55	56.658	0.75	237.804	9.51	247.316	185.487	40.17		145.317
64	बिजनौर	32169	3976	277	36422	25735	450.366	39.76	1.385	154.41	0.75	646.671	25.87	672.538	504.403	98.68		405.723
65	मुरादाबाद	30530	3773	236	34539	24424	427.42	37.73	1.18	146.544	0.75	613.624	24.54	638.169	478.627	104.91		373.717
66	अमरोहा	17384	2150	138	19672	13907	243.376	21.5	0.69	83.442	0.75	349.758	13.99	363.748	272.811	70.57		202.241
67	सम्भल	24034	2970	162	27166	19227	336.476	29.7	0.81	115.362	0.75	483.098	19.32	502.422	376.816	111.69		265.126
68	रामपुर	21586	2668	176	24430	17270	302.204	26.68	0.88	103.62	0.75	434.134	17.37	451.499	338.625	86.44		252.185
69	मिर्जापुर	30925	3822	187	34934	24740	432.95	38.22	0.935	148.44	0.75	621.295	24.85	646.147	484.610	116.1		368.510
70	सोनभद्र	20765	2566	140	23471	16612	290.71	25.66	0.7	99.672	0.75	417.492	16.70	434.192	325.644	179.26		146.384
71	भदोही	21332	2637	117	24086	17065	298.648	26.37	0.585	102.39	0.75	428.743	17.15	445.893	334.420	122.43		211.990
72	वाराणसी	41050	5074	277	46401	32840	574.7	50.74	1.385	197.04	0.75	824.615	32.98	857.600	643.200	191.24	0.9	452.860
73	जौनपुर	49900	6168	336	56404	39921	698.6	61.68	1.68	239.526	0.75	1002.236	40.09	1042.325	781.744	137.96		643.784
74	चंदौली	23104	2856	147	26107	18484	323.456	28.56	0.735	110.904	0.75	464.405	18.58	482.981	362.236	270.09		92.146
75	गाजीपुर	44837	5542	272	50651	35870	627.718	55.42	1.36	215.22	0.75	900.468	36.02	936.487	702.365	265.05		437.315
		2225000	275000	15000	2515000	1780000	31150.00	2750.00	75.00	10680.00	56.25	44711.25	1788.45	46499.700	34874.775	11610.31	10.8	23275.265